आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 13/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक, राजा पार्क, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. श्री राघव इण्डस्ट्रीज जरिये श्रीमती पिंकी खण्डेलवाल,
   पताः– 25, विज्ञान नगर, सरना डूंगर, जयपुर।
2. श्रीमती पिंकी खण्डेलवाल पत्नी श्री मनीष कुमार कूलवाल,
3. श्री मनीष कुमार कूलवाल पुत्र श्री सूरज कुमार कूलवाल,
   पताः– प्लॉट नं. 45/46, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

1. श्री उद्देश्य गुप्ता, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।

आदेश दिनांक 11.03.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.12.2018 को पुनर्गुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्रीमती पिंकी खण्डेलवाल के स्वामित्त्व की संपत्ति प्लॉट नं. 26 विज्ञान नगर, सरना डूंगर, जयपुर, क्षेत्रफल 340 वर्गगज को बंधक रख कर कुल राशि 50,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.10.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 50,00,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 50,30,306/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 19.10.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक की गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राथी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती पिंकी खण्डेलवाल के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 26 विज्ञान नगर, सरना डूंगर, जयपुर, क्षेत्रफल 340 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश आज दिनांक 11.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 13/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक, राजा पार्क, जयपुर॥

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. श्री राघव इण्डस्ट्रीज जरिये श्रीमती पिंकी खण्डेलवाल,
   पताः- 25, विज्ञान नगर, सरना डूंगर, जयपुर।
2. श्रीमती पिंकी खण्डेलवाल पत्नी श्री मनीष कुमार कूलवाल,
3. श्री मनीष कुमार कूलवाल पुत्र श्री सूरज कुमार कूलवाल,
   पताः- प्लॉट नं. 45/46, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :-

1. श्री उद्देश्य गुप्ता, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।

संशोधित आदेश

दिनांक 13.06.2024

1. प्रकरण में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 11.03.2024 के क्रम में प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बंधक रखी गई संपत्तियों में से एक ही संपत्ति प्लॉट नं. 26 विज्ञान नगर, सरना डूंगर, जयपुर, क्षेत्रफल 340 वर्गगज का भौतिक कब्जे हेतु पुलिस इमदाद दिए जाने का आदेश दिया गया है, जबकि प्रार्थी बैंक द्वारा प्लॉट नं. 25 विज्ञान नगर, सरना डूंगर, जयपुर, क्षेत्रफल 330 वर्गगज के भौतिक कब्जे हेतु भी पुलिस इमदाद चाही गई है। अतः पारित आदेश को संशोधित करने हेतु निवेदन किया गया है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.12.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्रीमती पिंकी खण्डेलवाल के स्वामित्व की संपत्ति 1. प्लॉट नं. 26 विज्ञान नगर, सरना डूंगर, जयपुर, क्षेत्रफल 340 वर्गगज एवं 2. प्लॉट नं. 25 विज्ञान नगर, सरना डूंगर, जयपुर, क्षेत्रफल 330 वर्गगज को बंधक रख कर कुल राशि 50,00,000/- रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.10.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 50,00,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 50,30,306/— रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 19.10.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का मुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक की गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र एवं दिनांक 13.06.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती पिंकी खण्डेलवाल के स्वामित्त्व की संपत्ति 1. प्लॉट नं. 26 विज्ञान नगर, सरना डूंगर, जयपुर, क्षेत्रफल 340 वर्गगज एवं 2. प्लॉट नं. 25 विज्ञान नगर, सरना डूंगर, जयपुर, क्षेत्रफल 330 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश आज दिनांक 13.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट

(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner